राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार

भूमि एवं भवन विभाग
विकास भवन, नई दिल्ली

विधानसभा तारांकित प्रश्न सं. : 14

दिनांक : 14.03.2013

प्रश्नकर्ता : **श्री साहब सिंह चौहान, माननीय विधायक**

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि भजनपुरा डी ब्लाक में डिस्पेंसरी चौक से गावड़ी रोड तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नगर निगम के अनुरोध पर सड़क निर्माण के लिए संबंधित भूमि/प्लाट्स को अधिगृहीत कर नगर निगम को देना था ;	जी हाँ ।
ख	क्या यह भी सत्य है कि बार–बार विधानसभा में आश्वासन देने के बाद भी यह कार्य लंबित है और अभी तक उक्त जगह नहीं दी गई है ;	जी हाँ ।
ग	संबंधित विभाग से जिम्मेदारी के साथ सहयोग/राय लेकर अब तक यह कार्य क्यों आरंभ नहीं हुआ है ;	मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विचाराधीन है ।
घ	क्या यह न्यायालय व सदन की अवमानना नहीं है ; और	जी नहीं । क्योंकि इस संबंध में विभाग निरन्तर प्रयत्नशील रहा है एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिनांक 7.12.2011, 17.9.2012, 19.11.12, 12.12.12 और 14.1.2013 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पत्र लिखे गये हैं ।
ङ	कब तक उक्त जगह नगर निगम को दे दी जाएगी ?	जैसे ही डीडीए से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, प्रस्ताव उपराज्यपाल महोदय की अनुमति हेतु भेज दिया जाएगा ।

के. के. त्रिवेदी
उ० नि०